

निदेशालय ग्रामीण विकास, हरियाणा, चण्डीगढ़

आदेश

मामले में विभाग ने विचारोपरान्त श्री नरेश कुमार, सहायक परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, करनाल को 55 वर्ष की आयु उपरान्त सेवा में बनाये रखने का निर्णय लिया है ।

चण्डीगढ़, दिनांक
11.05.2018

संजय जून
विशेष सचिव एवं निदेशक
ग्रामीण विकास विभाग
हरियाणा, चण्डीगढ़

पृ० क्र० स्था-1-2018/2523

चण्डीगढ़, दिनांक 14-5-2018

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:-

1. अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, करनाल ।
- ✓ 2. सिस्टम ऐनालिस्ट, ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ को वैबसाइट पर चढ़ाने बारे ।


अधीक्षक

कृते: विशेष सचिव एवं निदेशक,
ग्रामीण विकास विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।